डिगरी व मुकदमे हब्तदाई

(प्रांरम्भिक डिकी)

(आ 2 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–खेरवाडा, जिला–उदयपुर (राज.) व इजलास – श्री माधव भारद्वाज (IAS)

श्री प्रभु पिता भीमा भील वगैरह निवासी – कातरवास कला, तहसील– खेरवाडा जिला– उदयपुर (राज.) क. स. 1 1 से 8 तक

बनाम

सुर्यप्रकाश पिता काना निवासी– कातरवास कला, खेरवाडा,तहसील– खेरवाडा, जिला– उदयपुर (राज.) क.स.1 से 19 तक

दावा– अन्तर्गत धारा 53, बंटवाडा ,88 घोषणा 188 स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकार अधिनियम एंव इन्द्राज दुरस्ती

मुकदमा नम्बर –32/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु– हमारे

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व प्रारम्भिक डिकी दी जाती है कि

ग्राम – मौजा कातरवास कला की जमाबन्दी संवत ,2070 से 2073 के खाता नम्बर 194/190 में वर्णित आराजी नम्बर–1538/0.12,1545/0.07,1547/0.08,1548/0.05,1553/0.06,1554/0.04,1555/0.15,1556/0.3,1557/0.03,1560/0.10,1563/0.015,1564/0.15,1556/0.02,1567/0.019,1569/0.04,1570/0.06,1574/0.02,2443/0.19,2444/0.02,2447/0.04,2448/0.07,2449/0.03,2450/0.04,2451/0.09,2452/0.05,2453/0.09,2454/0.14,2455/0.16,2456/0.02,2457/0.12,2458/0.18,2461/0.12,2540/0.07,2541/0.03,2542/0.02,2543/0.13,2544/0.06,2560/0.41,2561/0.06,2563/0.03,2564/0.01,2566/0.06,2567/0.06,2568/0.02,2569/0.09/2570/0.18,2571/0.02,2572/0.04,2575/0.07,2577/0.29,2580/0.04,2584/0.03,2920/1575–0.23,2933/2562–0.01 कुल किता 55 रकबा 4.084 हेक्टयर में भूमि में 1/8 हिस्सा स्व.भीमा/होमा हिस्सा लुप्त हुआ है इसलिऐ उक्त भूमि में वादीगण को 1/8 हिस्से के संयुक्त खातेदार घोषित किये जाते है। उक्त कृषि भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण के बीच भौतिक रूप से राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार माप व सीमाओं द्वारा विधिवत पाती बटवॉडा कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। बटवॉडा हेतु तहसीलदार खेरवाडा को कोर्ट कमिशन नियुक्त किया जाता है। कोर्ट कमिशन की शुल्क 1000 नियत कि जाती है। बटवॉडा स्कीम दो प्रति में तैयार कर पेश करे ।

मुबलिग – — बाबत् — खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शहर– — फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसुलीणबी तक – का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मूहर अदालत से आज तारीख 17 माह 12 सन् 2024 को जारीकी गई।

दस्तखत –

ओहदा – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

मुदई रुपया पैसा मुदायता रुपया पैसा	
स्टाम्प अरजी दावा = 3:00/–	स्टाम्प अरजी वकालत नामा = 2:00/–
स्टाम्प वकालतनामा = 1:00/–	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबुत	स्टाम्प वजह सबुत
महनताना वकील (फा.)	महनताना वकील (फा.)
बाबत इजराय हुक्मनामा = 3.00/–	बाबत इजराय हुक्मनामा
खर्चा गवाहान	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
मुतफरिक	मुतफरिक
मीलान :– 7:00/–	मीजान :– = 2:00/–

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, खेरवाडा जिला–उदयपुर (राज0)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी :श्री माधव भारद्वाज (IAS)

प्रकरण संख्याः– 32 / 2017 दायर दिनांक :– 27.11.2017

1.श्री प्रभू पिता भीमा , जाति – भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

2.श्री सूरजमल पिता भीमा, जाति – भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

3.श्री रामलाल पिता भीमा, जाति – भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

4.श्री दिनेश पिता भीमा, जाति – भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

5.श्री लक्ष्मण पिता भीमा, भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

6.श्रीमति शारदा पुत्री भीमा, भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

7.श्रीमति जीजा पुत्री भीमा, भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

8.श्रीमति मनु देवी बेवा पत्नि भीमा, भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

–वादीगण–

बनाम

1.श्री सूर्य प्रकाश पिता काना ,जाति– भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

2.श्री अर्जुन पिता काना, जाति–भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

3.श्री रामचन्द्र पिता काना , जाति–भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

4.श्री महेश पिता काना, जाति–भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

5.श्रीमति गीता पुत्री काना, जाति–भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

6.श्रीमति सुशीला पुत्री काना, जाति–भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

7.श्रीमति कंकुदेवी पत्नी काना , जाति–भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

8.श्री धूला पिता काला,. जाति–भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

9.श्री बाबू पिता काला, जाति–भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

10.श्री मावा पिता काला , जाति–भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

11.श्री सवा पिता रामा , जाति–भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

12. श्री रमेश पिता पूना, जाति–भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

13.श्री कोदर पिता अमरा, जाति–भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

14. श्री काना पिता अमरा, जाति–भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

15 श्री कावा पिता अमरा , जाति–भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

16.श्री हरजी पिता वैसा, जाति–भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

17श्री गांगा पिता वैसा , जाति–भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

18.श्री धीरा पिता वैसा , जाति–भील ,निवासी– कातरवास कला , तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)।

19 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खैरवाडा,तहसील –खैरवाडा,जिला– उदयपुर(राज.)

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 53 बंटवाडा, 88 घोषणा 188 स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं ईन्द्राज दुरस्ती

उपस्थित : 1. श्री लक्ष्मण लाल मीणा , अधिवक्ता वादीगण।
2. तहसीलदार खेरवाडा, ,प्रतिवादी संख्या –19।

दिनांकः– 17/12/2024

–:: निर्णय ::–

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा कारतवास कला की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 तक के खाता नम्बर 194 नया व 190 पुराना की आराजीयात कुल किता 55 रकबा 4.84 हेक्टर कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते एवं कब्जेशुदा भूमि है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त हिस्से की है। उक्त भूमि में वादीगण अपने हिस्से अनुसार खेती कर उपयोग–उपभोग आज तक निरन्तर करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के है। तथा आपस में काका–बाबा के भाई है वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण के पिता परदादा होमा व काला सगे भाई थे। अमरा–वैसा–सवा प्रतिवादी के परदादा थे। वादवर्णित भूमि पैतृक होकर संयुक्त रूप से काबिज है। जमाबंदी सवत् 2042 के खाता नम्बर 119/120 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के परदादा होमा व काला पिता लखमा भील के नाम दर्ज थी तथा दौनों सगे भाई थे। वादीगण के पिता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के परदादा होमा की मृत्यु होने के पश्चात उनके वारिसान वादीगण के पिता भीमा व प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 के पिता काना जो आपस में भाई होकर होमा के लडके थे। दादा होमा की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का कातरवास ने वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 के पिताओं के वारिसान जांच किये बिना प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता भीमा का नाम दर्ज नही किया गया जिससे वादीगण के पिता का नाम ईन्द्राज नही किया गया जिससे वादीगण के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही करके केवल प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 के पिता काना का ही नाम दर्ज हुआ। तथा काना फौत होने के बाद विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का नाम दर्ज हो गया। भूमि पैतृक होने से वादीगण– प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 6 से अपना हक व हिस्सा मांगने का विधिक अधिकार है एवं प्रतिवादी नम्बर 7 से 18 राजस्व रेकार्ड में सहखातेदार होने से पक्षकार बनाये है लेकिन प्रतिवादी नम्बर 7 से 18 तक से कोई अनुतोष प्राप्त नही करना चाहते है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण अपने पिता के समय से निरन्तर काबिज चले आ रहे है तथा उनके स्वर्गवास के बाद आज तक संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार भौतिक रूप से विगत 60–70 वर्षो से काबिज होकर कब्जा चला आ रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 से 6

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खैरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

का भौतिक रूप से दादा–परदादा के समय से विभाजन हो चुका है। लेकिन वादी के पिता का नाम दर्ज नही होने से उनका नाम इन्द्राज करवाना चाहते है जिससे वादीगण प्रतिवादीगण के बीच भविष्य में झगडा फसाद नही हो। शेष अन्य खातो में वादीगण का हिस्सा दर्ज है लेकिन मात्र खाता नम्बर 194/190 कुल किता 55 रकबा 4.84 हेक्टर में वादीगण के पिता का नाम हटा दिया गया है। जिसे दुरस्त कराने एवं घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद लाया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 से 7 की तरफ से वकील श्री हिम्मतसिह गरासिया ने तथा 8 से 18 तक की तरफ से अधिवक्ता श्री मंशाराम मीणा व हरिशचन्द्र अहारी ने वकालत नामा पेश किया गया। दौराने कार्यवाही अधिवक्ता प्रतिवादी ने हिदायत पेरवी इन्कार किया तथा प्रतिवादी गण स्वंय उपस्थित नही होने से जवाब दावा बन्द किया गया। तथा वादीगण ने अपने साक्ष्य में प्रभू,सुरजमल,रामलाल,दिनेश,लक्ष्मण के शपथ –पत्र व बयान कलमबद्ध किया गया। तथा दस्तावेज सबूत में जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 प्रदर्श 2, जमाबन्दी संवत 2043 प्रदर्श 3, भीमा का मृत्यू प्रमाण–पत्र छाया प्रति प्रदर्श 4, पुना की मृत्यु प्रमाण–पत्र की छाया प्रति प्रदर्श 5, बेचा का मृत्यू प्रमाण –पत्र की छाया प्रति पेश की है वादीगण एवं उनके अधिवक्ता और कोई शहादत सबूत प्रस्तुत नही करना चाहते है वादीगण की शहादत बन्द की गई।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि वादीगण के दादा होमा के दो पुत्र थे बडा काना व छोटा भीमा हुऐ लेकिन भीमा व काना दोनो अपने पिता से पहले शान्त (फौत) हो चुके थे। वाद ग्रस्त भूमि पैतृक होकर स्वर्गीय होमा के खाते थी। होमा का दुसरा भाई काला था। स्व. होमा व काला के पिता का नाम लखमा था। सवंत् 2043 के खाता नम्बर 119/120 कुल किता 55 रकबा 4.84 हेक्टयर में खातेदार होमा – काला पिता लखमा भील 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा शेष 1/2 हिस्सा अमरा – बेचा – सवा पिता रामा के नाम दर्ज है लेकिन तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण एवं राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करते वक्त भूल कर दी। जिससे वादीगण को अपने अधिकारो से वचिंत होना पड रहा है। हाल में ही किसान क्रेडिट कार्ड हेतु दिनांक 25/09/2019 को वादीगण पटवारी हल्का कातरवास के पास गये तो जमाबन्दी की नकल में वादीगण का नाम नही होने से जानकारी हुई। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच कोई विवाद नही है भौतिक रूप से बटवारा कर विगत 60–70 वर्षो से निरन्तर फसल का उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। नामान्तरकरण संख्या 176 मे बनाये सजरे में होमा के तीन वारीसान दर्शाये हुए है, क्रमशः भीमा–काना व श्रीमती वाली (फौत) तथा होमा पिता लखमा के बजाय भीमा–काना पिता होमा का इन्द्राज है लेकिन अन्य राजस्व रेकार्ड में भीमा का नाम अर्थात वादीगण के पिता का नाम दर्ज नही किया गया है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 के पिता काना अकले का नाम दर्ज कर दिया जबकि वादीगण के पिता नाम भी दर्ज होना चाहिए था। अन्त मे निवेदन किया है कि प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 तक के साथ संयुक्त खातेदार घोषित किया जावे। तद्अनुसार राजस्व रिकार्ड में ईन्द्राज किया जाकर भौतिक रूप से कब्जे अनुसार बटवारा विधिवत किया जाकर खाते अलग–अलग कायम किये जाने का निवेदन किया है।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत रेकार्ड अनुसार जमाबन्दी सवंत 2043 से 2047 प्रदर्श 3, दिनेश का शपथ पत्र प्रदर्श 7, लक्ष्मण का शपथ पत्र प्रदर्श 8, तथा वादी के पिता स्व. भीमा पिता होमा का मृत्यु प्रमाण पत्र छायाप्रति प्रदर्श 4, पुना पिता थावरा का मृत्यु प्रमाण पत्र छायाप्रति प्रदर्श 5, बेचा पिता रामा का मृत्यु प्रमाण पत्र छायाप्रति पेश कि है। एवं बहस के दौरान मौजा कातरवास नामान्तरकरण संख्या 176 व 177, 178 की प्रमाणित नकल पटवारी हल्का द्वारा प्रमाणित कि हुई पेश है। नामान्तरकरण संख्या 176 में खातेदार होमा पिता लखमा के वारिस भीमा–काना पिता होमा खाता नम्बर 197 कुल किता 55 रकबा 4.84 हेक्टयर में दर्ज है, इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 178 में भीमा–काना पिता होमा दर्ज है। अर्थात होमा व काला का 1/2 हिस्सा होमा के स्वर्गवास के पश्चात दर्ज हुआ नामान्तरकरण संख्या

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़, जि. अजमेर

Scanned with CamScanner

178 अनुसार लेकिन जमाबन्दी अमल दरामद के समय पटवार हल्का एवं तत्कालीन राजस्व अधिकारी की गलती से मात्र काना के वारिसान नाम ही अंकित किया गया है यह बिल्कुल सही है। हमने तहसीलदार खेरवाडा, पटवारी हल्का कातरवास एवं ग्राम पंचायत कातरवास कला से खानदान का सजरा तलब किया गया। तथा नामान्तरकरण संख्या 176 का अवलोकन किया गया तथा जमाबन्दी सवत 2070 से 2073 प्रदर्श 2 को देखा गया। नामान्तरकरण संख्या 176 में स्व. होमा पिता लखमा कि मृत्यु के प्रश्चात वारिशान के रूप में श्री भीमा – काना पिता होमा दर्ज है लेकिन जमाबन्दी लिखते वक्त तत्कालीन पटवारी की भूल से वादीगण पूर्वाधिकारी भीमा का नाम दर्ज नही किया न ही हिस्सा दर्ज किया है। जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 तक खाता संख्या नई 194 पुरानी 190 में सुर्यप्रकाश–अर्जून–रामचन्द्र–महेश–गीता–सुशीला पिता काना कंकु बेवा काना 1/8, थावरा–धुला–बाबु–मावा पिता काला कंकु बेवा काला भील 1/4 हिस्सा ब., वेसा–सवा पिता रामा 2/6, काना–कावा–कोदरलालद पिता अमरा 1/6 भील सा. देह खातेदार जिसका कुल 7/8 हिस्सा बनता है तथा 1/8 हिस्सा लुप्त हुआ है जो भीमा का है। भीमा की मृत्यु के बाद वारिसान का है। ऐसी स्थिति में न्यायालय यह उचित समझता है कि वादीगण को अपने 1/8 हिस्से के खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है।

अतः वादीगण को वाद वर्णित की भूमि मौजा कातरवास की जमाबन्दी सवंत 2070 से 2073 के खाता नम्बर **194/190** में वर्णित आराजि नम्बर 1538/0.12, 1545/0.07, 1547/0.08, 1548/0.05, 1553/0.06, 1554/0.04, 1555/0.15, 1556/0.13, 1557/0.03, 1560/0.10, 1563/0.15, 1564/0.15, 1566/0.02, 1567/0.09, 1568/0.16, 1569/0.04, 1570/0.06, 1574/0.02, 2443/0.19, 2444/0.02, 2447/0.04, 2448/0.07, 2449/0.03, 2450/0.04, 2457/0.09, 2452/0.05, 2453/0.09, 2454/0.14, 2455/0.16, 2456/0.02, 2457/0.12, 2458/0.18, 2461/0.12, 2540/0.07, 2541/0.03, 2542/0.02, 2543/0.13, 2544/0.06, 2560/0.41, 2561/0.06, 2563/0.03, 2564/0.01, 2566/0.06, 2567/0.06, 2568/0.02, 2569/0.09, 2570/0.18, 2571/0.02, 2572/0.04, 2575/0.07, 2577/0.29, 2580/0.04, 2584/0.03, 2920/1575– 0.23, 2933/2562– 0.01 कुल किता 55 रकबा 4.84 हेक्टयर कृषि भूमि में 1/8 हिस्सा स्व. भीमा /होमा हिस्सा लुप्त हुआ है इस लिये उक्त भूमि में वादीगण को 1/8 हिस्से के संयुक्त खातेदार घोषित किये जाते है तद्अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है कि मौजा कातरवास की जमाबन्दी सवंत 2070 से 2073 के खाता नम्बर **194/190** में वर्णित आराजि नम्बर 1538/0.12, 1545/0.07, 1547/0.08, 1548/0.05, 1553/0.06, 1554/0.04, 1555/0.15, 1556/0.13, 1557/0.03, 1560/0.10, 1563/0.15, 1564/0.15, 1566/0.02, 1567/0.09, 1568/0.16, 1569/0.04, 1570/0.06, 1574/0.02, 2443/0.19, 2444/0.02, 2447/0.04, 2448/0.07, 2449/0.03, 2450/0.04, 2457/0.09, 2452/0.05, 2453/0.09, 2454/0.14, 2455/0.16, 2456/0.02, 2457/0.12, 2458/0.18, 2461/0.12, 2540/0.07, 2541/0.03, 2542/0.02, 2543/0.13, 2544/0.06, 2560/0.41, 2561/0.06, 2563/0.03, 2564/0.01, 2566/0.06, 2567/0.06, 2568/0.02, 2569/0.09, 2570/0.18, 2571/0.02, 2572/0.04, 2575/0.07, 2577/0.29, 2580/0.04, 2584/0.03, 2920/1575– 0.23, 2933/2562– 0.01 कुल किता 55 रकबा 4.84 हेक्टयर कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच भौतिक रूप से राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार माप व सीमाओ द्वारा विधिवत पाती बटवॉडा कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। बटवॉडा हेतु तहसीलदार खेरवाडा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कोर्ट कमिश्नर की शुल्क 1000 नियत कि जाती है। बटवॉडा स्कीम दो प्रति में तैयार कर पेश करे प्रारंभिक डिक्री पर्चा अलग से जारी हो।

आदेश सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

17/12/24

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा जिला उदयपुर (राज0)

Scanned with CamScanner